

अपर कलक्टर
सुखराम/मल्ल 24/4

बदलाफ उपन प्राणी से

20.8.25

मूल अपील विरुद्ध विवेचन के
साथ खारिज की जा चुकी है,
के अनुसार उक्त प्राण पत्र की
खारिज किया जाता है धारा-
के तहत शुभ्राए ही बाँटने से
रुक होकर दालिना दफ्तार है।

20/8/25

अपर कलक्टर, नार्मीर